

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-4/अ0प्र0-01-15/2017 २५१

/पटना, दिनांक- 21/9/23

1. श्री नित्यानन्द सिंह, कनीय अभियंता (गृह जिला-औरंगाबाद) जो विभागीय कार्यालय आदेश सं0-1661 सहपठित ज्ञापांक-1661 दिनांक-01.08.2023 के द्वारा निलंबन से मुक्त होने के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, को अगले आदेश तक के लिए कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के कार्य प्रशाखा, मुरलीगंज-02 में पदस्थापित करते हुए कार्य प्रशाखा, कुमारखंड-02 का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

2. श्री संतोष कुमार तिवारी, कनीय अभियंता (गृह जिला-पटना) जो विभागीय कार्यालय आदेश सं0-1662 सहपठित ज्ञापांक-1662 दिनांक-01.08.2023 के द्वारा निलंबन से मुक्त होने के पश्चात् पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, को अगले आदेश तक के लिए कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद के कार्य प्रशाखा, कुटुम्बों-01 में पदस्थापित करते हुए कार्य प्रशाखा, नवीनगर-02 का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

3. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-15/2017 २३५५ /पटना, दिनांक- 21/9/23

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/मधेपुरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा/औरंगाबाद/मोहनियाँ एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

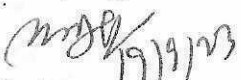
1. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा/औरंगाबाद को निदेश है कि कार्य प्रमंडल, मोहनियाँ से संबंधित कनीय अभियंता का अद्यतन एल0पी0सी0 यथाशीघ्र प्राप्त कर उनका वेतनादि का भुगतान प्रारम्भ करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त इनका सत्यापित अद्यतन सेवा पुस्त भी पूर्व के स्थान से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

2. वर्णित कनीय अभियंताओं के नाम से किसी कार्य मद में यदि कोई अग्रिम राशि लंबित हो, तो संबंधित कनीय अभियंता को आदेश दिया जाय कि पूर्व पदस्थापन स्थान से लिये गए अग्रिम का नियमानुकूल समायोजन कराकर समायोजन संबंधी प्रमाण पत्र नियंत्री पदाधिकारी को उपलब्ध कराये, यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए बिना कार्य के लिए कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

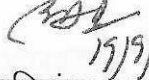

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-15/2017 २३५५ /पटना, दिनांक- 21/9/23

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-15/2017 ५-३५५ /पटना, दिनांक- 21/9/23
प्रतिलिपि:-सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबन्धित भविष्य निधि
पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19/9/23
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-15/2017 ५-३५५ /पटना, दिनांक- 21/9/23
प्रतिलिपि:-निलंबन से मुक्त संबंधित कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के अन्दर नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देकर
योगदान प्रतिवदेन से विभाग को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।


19/9/23
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-01-15/2017 ५-३५५ /पटना, दिनांक- 21/9/23
प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। ✓


19/9/23
अभियंता प्रमुख।

आ.प्र. ए. १९/९/२३